2022/376

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री घीसूलाल मेघवाल C/o मा.श्री फूलचन्द राष्ट्रीय अध्यक्ष निवासी बी–48 सेक्टर–15 नोयडा (उत्तर प्रदेश)		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 74 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जा इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10.11.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 19.05.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलार्थी की पट्टा विलेख पत्रावली दिनांक 17.01.2021 को बिना किसी ठोस साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर लम्बित रखा गया है। अतः एक जवाबदेही अधिकारी निश्चित कर अपीलार्थी को पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण निःशुल्क पट्टा वितरण योजनान्तर्गत आवास भूमि पट्टा ग्राम नवाखेडा में पट्टा निर्गत पत्रावली आधार पर आदेश जारी कराने से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 19.05.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलार्थी की पट्टा विलेख पत्रावली दिनांक 17.01.2021 को बिना किसी ठोस साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर लम्बित रखा गया है। अतः एक जवाबदेही अधिकारी निश्चित कर अपीलार्थी को पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण निःशुल्क पट्टा वितरण योजनान्तर्गत आवास भूमि पट्टा ग्राम नवाखेडा में पट्टा निर्गत पत्रावली आधार पर आदेश जारी कराने से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि उक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 1045 दिनांक 30.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । B-lal (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:35:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner